

330
4-8-82

02.02.22



श्री अनुप लकड़ा आवेदक
बनाम
एस्थेर टोप्पो क्रेतिका

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई
के बारे टिप्पणी
सहित तारीख

3

2

02.08.2022

आवेदक श्री अनुप लकड़ा, पिता— स्व० अल्फोंस लकड़ा, ग्राम— खिजरी सामटोली, थाना— सिमडेगा, जिला— सिमडेगा ने निमांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन—पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरणः—

<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>थाना नं०</u>	<u>खाता नं०</u>	<u>प्लॉट न०</u>	<u>रकबा</u>
खिजरी सामटोली	सिमडेगा	105	152	2176	1.40 ए० मे से $0.10\frac{1}{2}$ ए०

कुल रकबा (साढ़े दस डिसमिल) मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को बिमारी के इलाज हेतु प्रस्तावित क्रेतिका— एस्थेर टोप्पो, पिता स्व० प्यारा टोप्पो, ग्राम कोचेडेगा, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति उराँव) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 225(ii)/रा०, दिनांक 02.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है, न ही अंचल अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का विवाद का आपत्ति के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत लछन उराँव वल्द लोहरा उराँव है। वर्तमान जमाबंदीदार अल्फोंस लकड़ा वल्द स्व० जोसेफ लकड़ा को उत्तराधिकारी दाखिल खारिज से प्राप्त है। मालगुजारी आवेदक के द्वारा दिया जाता है। किंतु एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव जाति के सदस्य हैं, तथा एक

प्रत्यक्ष दृष्टि के निकासी है। प्रस्तावित भूमि विक्री के पश्चात आवेदक के पास $2.39\frac{1}{2}$

प्रत्यक्ष दृष्टि है।

एस्थेर टोप्पो
एस्थेर



Amul Lekha
8/8/2022

No. 02
Information

जनजाति प्रमाण पत्र संख्या जे०एच०आर०सी०/२०२१/१९०२९८ दिनांक ०२.०९.२०२१ / स्थानीय निवासी पत्र संख्या—जे०एच०आर०सी०/२०२१/२५९४९१ / दिनांक १७.०८.२०२१ एवं जनजाति पत्र संख्या ३६६८२२७२०७८५ की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है।

जाति प्रमाण पत्र संख्या जे०एच०सी०सी०/२०२१/१७९६७५ दिनांक २५.०८.२०२१ / स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या—जे०एच०आर०सी०/२०२१/२८७०२६ / दिनांक ०२.०९.२०२१ एवं आधार संख्या ६२८५०२८०९०९५ की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मौजा— खिजरी सामटोली, थाना सं०-१०५ थाना— सिमडेगा के अन्तर्गत खाता संख्या— १५२ प्लॉट संख्या— २१७६ जिसका रकबा १.४० एकड़ मे से $0.10\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन को बिमारी के इलाज हेतु प्रस्तावित क्रेतिका— एस्थेर टोप्पो, पिता स्व० प्यारा टोप्पो, ग्राम कोचेडेगा, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को मो० ६,३०,०००.०० (छः लाख तीस हजार रुपये) मात्र में अपने राजी— खुशी से बिक्री कर रहे हैं। यह हमारी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास $2.39\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन शेष बचती है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आयेदक के बयान के आधार पर मौजा— खिजरी सामटोली, थाना सं०-१०५ थाना— सिमडेगा के अन्तर्गत खाता संख्या— १५२ प्लॉट संख्या— २१७६ जिसका रकबा १.४० एकड़ मे से $0.10\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन श्री अनुप लकड़ा, पिता— स्व० अल्फोंस लकड़ा, ग्राम— खिजरी सामटोली, थाना— सिमडेगा, जिला— सिमडेगा के द्वारा क्रेतिका— एस्थेर टोप्पो, पिता स्व० प्यारा टोप्पो, ग्राम कोचेडेगा, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम १९०८ की धारा ४६ के तहत भूमि बिक्री करने की.....

इसी बीती दी जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार प्रणाली समिति
सिमडेगा।

भूमि सुधार प्रणाली समिति
सिमडेगा।

पुनर्श्च: तालिका तीन प्रतियों में तैयार करे। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजो।



भूमि सुधार प्रणाली समिति
सिमडेगा।

28.2.22
Anup Singh
2022-02-28


कार्यालय, अंचल अधिकारी, सिमडेगा

पत्रांक 225(7)/५
दिनांक 02.04.2022

इन पदाधिकारी, सिमडेगा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा।

- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिक्रिया

प्रसंग : अनुमति वाद संख्या 405 सन् 2021-22



1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र


- 1) कन्न आवेदक (हस्तान्तरणकर्ता) का नाम
पिता का नाम/पूरा पता
ख- जाति
- 2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध

- 3) जमीनदारी विलियन के पश्चात् उक्त जमीन की जमाबंदी संख्या तथा जमाबंदी दार का नाम

- 4) वर्तमान जमाबंदी संख्या/ जमाबंदी दार का नाम
- 5) वर्तमान जमाबंदी को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ
- 6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम :
- 7) आवेदक द्वारा उक्त रैयत का सम्बन्ध
- 8) उक्त वर्तमान के लिने दिसेयर है तथा आवेदक का उक्त वर्तमान के लिने दिसेयर स्वाक्षर स्वरूप रूपरेखा


: अनुप लकड़ा पिता - ख. अलेंड्र लकड़ा
: मैजा - विजयी सामिटली भाना + जिला - विजयी
: उत्तर
: लालून उत्तर बड़द - लोहरा उत्तर काम - उत्तर
संबंध - परपेता

: मतियास उत्तर पिता - ख. लोहरा उत्तर की



: अलून द्वारा द्वारा उत्तर काम स्वरूप काम
: अलून संस्थान संस्थान 15 दिनों से 152 स्लॉट से 21
संस्थान 400 रुपये के लिए

0 10 ५ ०



: 60,000/- रुपये

: 630,000/-

: 2,50/-

: 1,300/-

: 1,300/-

Anup Lekhnae
2021-04-02